न्यायालय : विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) अल्मोड़ा।
पीठासीन : श्रीकान्त पाण्डेय।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–64 वर्ष 2023

CNR No.UKAL010004212023

मुकदमा अपराध संख्या–17 वर्ष 2023
अन्तर्गत धारा–323, 506, 376(2)(n) भारतीय दण्ड संहिता
एवं धारा 5 (l) सपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों
का संरक्षण अधिनियम, 2012
चालानी थाना– कोतवाली रानीखेत,
जिला अल्मोड़ा।

शिकायतकर्ता	पीड़िता / राज्य सरकार
प्रतिनिधित्वकर्ता	विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) श्री घनश्याम जोशी।
अभियुक्त	(इस अभियुक्त के पीड़िता का सौतेला पिता होने के कारण उसका नाम–पता अंकित नहीं किया जा रहा है)
प्रतिनिधित्वकर्ता	श्री जमन सिंह बिष्ट

फार्म–बी	
अपराध की तिथि	24.06.2023
एफ0आई0आर0 की तिथि	25.06.2023
आरोप पत्र की तिथि	24.08.2023
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	18.09.2023
साक्ष्य शुरू होने की तिथि	30.11.2023
तिथि जब निर्णय सुरक्षित रखा गया	30.06.2025
निर्णय की तिथि	10.07.2025
दण्डादेश की तिथि, यदि कोई हो	अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया।

अभियुक्त का रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी का दिनांक	जमानत पर निर्मुक्त किये जाने का दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति	अधिरोपित दण्डादेश	दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 धारा 428 के प्रयोजन के लिए विचारण के दौरान जेल में बिताई अवधि
क	**पीड़िता का सौतेला पिता**	07.08.2023	अभियुक्त कारागार में निरूद्ध है	धारा 323, 506, 376(2)(n) भा0द0सं0 एवं धारा 5 (l) सपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012	**दोषमुक्ति**	....	**1 वर्ष 11 माह 2 दिन**

–: निर्णय :–

10.07.2025

प्रस्तुत मामला थाना कोतवाली रानीखेत, जिला अल्मोड़ा द्वारा अभियुक्त, उपर्युक्त के विरूद्ध प्रेषित आरोपपत्र के आधार पर इस विशेष न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के आधार पर योजित हुआ है।

2. इस निर्णय में आगे ''लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012''

को केवल ''पोक्सो अधिनियम'' भी कहकर संबोधित किया जायेगा।

—: तथ्य :—

3. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 25.06.2023 को पीड़िता द्वारा थाना कोतवाली रानीखेत में एक लिखित रिपोर्ट दी गई, जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया कि उसकी उम्र 17 है, वह अपनी दादी के साथ मेरठ में रहती थी, पिछले वर्ष उसकी मॉ उसे अपने साथ मेरठ से गनियाद्योली लेकर आयी। तब वह अपने सौतेले पिता के साथ रह रही थी। उस बीच उसकी मॉ का सौतेल पिता के साथ झगड़ा होने के कारण वह दूसरी जगह चली गई थी। उसकी मॉ के जाने के बाद उसके सौतेले पिता ने उसके साथ दो बार शारीरिक संबंध स्थापित किये। इस बात को उसने अपनी सौतेली माता व अपने सौतेले भाई को भी बताया था। दिनांक 24.06.2023 को उसके सौतेले पिता ने उसके साथ मारपीट की और उसका गला दबाकर मारने का प्रयास किया तथा उसे धमकी दी कि तूने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसे बताएगा। उक्त रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली रानीखेत में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 323, 376, 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 5 सपठित धारा 6 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत मामला पंजीकृत किया गया। दिनांक 25.06.2023 को ही पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तथा दिनांक 26.06.2023 को उसके धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान दर्ज कराये गये। दिनांक 07.08.2023 को अभियुक्त को प्रतापपुर तिराहा चौकी के पास काशीपुर में समय 21:30 बजे गिरफ्तार किया गया। बाद विवेचना अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र संख्या– 23 वर्ष 2023 अंतर्गत धारा 323, 376, 506, भारतीय दण्ड संहिता व धारा 5(l) सपठित धारा 6 पोक्सो अधिनियम में आरोपपत्र इस विशेष सत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. अभियुक्त के विरूद्ध मामले का संज्ञान लिया गया और उसे विधिनुसार अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध धारा– 323, 376(n), 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 5(l) सपठित धारा 6 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया एवं विचारण चाहा।

—: साक्ष्य :—

5. अभियोजन की ओर से बतौर मौखिक साक्ष्य संलग्नक–1 (Annexure -1) में उल्लिखित साक्षीगण परीक्षित कराये गये।

6. अभियोजन की ओर से बतौर दस्तावेजी साक्ष्य संलग्नक–2 (Annexure -2) में उल्लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

7. तत्पश्चात् अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये। अभियुक्त के द्वारा निर्दोष होने का कथन किया गया और यह भी कहा गया कि पीड़िता दिनांक 23.06.2023 की रात उसके घर पर नहीं थी। वह बाहर के दो

लड़कों के साथ रात भर बाहर रही। पीड़िता व पुलिसवाले उसके विरूद्ध झूठी गवाही देते है। पीड़िता डॉटने के कारण बुरा मानकर उसके विरूद्ध गवाही देती है। अभियुक्त ने यह भी कथन किया कि पीड़िता अनजान लोगों (लड़कों) से फोन पर घंटों बातें करती थी और बाहर के लड़कों के साथ रात में होटल में रहती थी। वह उसके हित में उसे डॉटता था। पीड़िता उसकी बात नहीं मानती थी। जब उसने दिनांक 24.06.2023 को सुबह पीड़िता के घर आने पर उसे डॉटा था, तब उसे बुरा लगा और उसने उसे धमकी दी कि वह इसका बदला लेगी और उसे जिन्दगी भर जेल में डालेगी। इसी बदले की भावना से उसने उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट किया। अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में कोई लिखित या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

तर्क

8. अभियोजन की ओर से बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता की जन्म तिथि 01.01.2006 है। घटना की तिथि पर पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम रही है। वह उक्त तिथि पर अवयस्क और बालिका थी। घटना की रिपोर्ट स्वयं पीड़िता द्वारा दर्ज करायी गयी है। पीड़िता ने तहरीर में अपने माता और पिता का नाम बताते हुए अभियुक्त द्वारा उसके साथ दो बार शारीरिक संबंध बनाये जाने और मारपीट किये जाने तथा घटना के बारे में किसी को बताने पर मारने की धमकी देने का उल्लेख किया है। पीड़िता ने घटना के बाद चिकित्सीय परीक्षण के दौरान चिकित्सक के समक्ष अंकित बयान में भी अभियुक्त द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये जाने का उल्लेख किया है। पीड़िता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दिये बयान में भी अभियुक्त द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये जाने और छेड़छाड़ किये जाने तथा शिकायत करने पर पीड़िता को बताने की धमकी देने और उसके साथ मारपीट करने का कथन किया है। न्यायालय में दिये बयान में भी पीड़िता द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए अभियुक्त द्वारा उसके साथ दो बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये जाने, दिनांक 23.06.2023 की रात को छेड़छाड़ किये जाने, किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने और मारपीट करने आदि अभियोगों का समर्थन किया है। साक्षी पी0डब्ल्यू0–4 पीड़िता के विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने भी पीड़िता के जन्मतिथि से संबंधित प्रपत्रों को सिद्ध करते हुए पीड़िता का जन्म तिथि दिनांक 01.01.2006 होना सिद्ध किया है। चिकित्सीय साक्ष्य एवं संपोषक साक्ष्यों से भी अभियोजन कथानक तथा अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों का समर्थन व संपोषण होता है। पीड़िता के भाई, सगी मॉ और सौतेली मॉ अभियुक्त की पत्नी व पुत्र होने के कारण पक्षद्रोही हुए हैं। अभियुक्त ने पीड़िता का संबंध किसी बाहरी लड़कों से होने और पीड़िता द्वारा अभियुक्त की बात न मानने की झूठी कहानी प्रस्तुत किया है। प्रत्येक स्तर पर दिये गये पीड़िता के बयान

में एकरूपता है। पीड़िता विश्वसनीय साक्षी है। उसके बयान पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। अभियोजन पक्ष अभियोजन कथानक तथा अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने में सफल है, अतः अभियुक्त दोषसिद्ध व दण्डादिष्ट किये जाने योग्य है।

9. अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कथित घटना की तिथि पर पीड़िता 18 वर्ष से अधिक उम्र की और वयस्क रही है। अभियोजन द्वारा पीड़िता की जन्मतिथि के संबंध में जो लीविंग सर्टिफिकेट और एस0आर0 रजिस्टर की प्रति पत्रावली में संलग्न किया गया है वह पीड़िता से संबंधित नहीं है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत पीड़िता के विद्यालय के अभिलेख में कटिंग की गई है, उक्त अभिलेख में कथित पीड़िता की माता का नाम वह अंकित नहीं है जो पीड़िता की माता का वास्तविक नाम है। उक्त लीविंग सर्टिफिकेट और एस0आर0 रजिस्टर की प्रति स्वयं में संदिग्ध है और इन प्रपत्रों के आधार पर पीड़िता के जन्मतिथि का निर्धारण नहीं हो सकता है। वस्तुतः पीड़िता की उम्र घटना की तिथि पर 18 वर्ष से अधिक रही है। पीड़िता द्वारा तहरीर में अंकित तथ्य, चिकित्सीय रिपोर्ट में उसके द्वारा अंकित घटना के वृत्तांत, धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पीड़िता के अंकित बयान तथा न्यायालय में दिये गये बयान में तात्विक विरोधाभास है। पीड़िता ने दिनांक 24.06.20223 को पैसे की बात को लेकर अभियुक्त से झगड़ा किया। पीड़िता बाहरी लड़कों के साथ घूमती थी जिसके कारण अभियुक्त द्वारा उसे डॉटा जाता था। दिनांक 24.06.2023 की सुबह पीड़िता के घर आने पर जब अभियुक्त ने उसे डॉटा था, तब उसे बुरा लगा था और उसे धमकी दी थी कि वह इसका बदला लेगी और उसे जिन्दगी भर जेल में डालेगी और उसने इसी बदले की भावना के कारण उसने अभियुक्त के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट दिया। स्वयं पीड़िता के भाई, सगी मॉ और सौतेली मॉ जो सहज रूप से कथित घटना के समय घटनास्थल वाले कमरे में उपस्थित थे, ने पीड़िता के किसी भी कथन का और अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ किसी प्रकार का कोई अपराध किये जाने के तथ्य का समर्थन नहीं किया है। पीड़िता की सगी मॉ भी अभियुक्त के परिवार के साथ ही रहती है और वह घटना के समय भी वहीं थी और पीड़िता की सगी मॉ ने भी अभियुक्त के ऊपर लगाये गये किसी अभियोग का समर्थन नहीं किया है। पीड़िता की सगी मॉ ने भी पीड़िता द्वारा उसे ऐसे किसी तथ्य के विषय में बताये जाने के तथ्य से इंकार किया है। वयस्क व परिपक्व उम्र की होते हुए भी पीड़िता द्वारा कथित जबरन शारीरिक संबंध बनाने की घटना की कोई तिथि नहीं बताई गई है। उसके द्वारा ऐसी कोई घटना के विषय में अपनी दोनों मॉ, भाई या बहन को भी बताने का साक्ष्य नहीं है। एक ही कमरे में पीड़िता की दोनों मॉ व बहनों के भी सोने के कारण ऐसी

कथित घटना संभव नहीं है। चिकित्सीय रिपोर्ट और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से भी अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाने का कोई समर्थन या संपोषण नहीं हुआ है। पीड़िता अविश्वसनीय साक्षी है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के ऊपर लगाये गये किसी भी आरोप को सिद्ध करने में सफल नहीं है, अतः अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

10. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों के आलोक में निम्न अवधार्य बिन्दु विचार हेतु सामने आते हैं :–

(i). क्या घटना की तिथि पर पीड़िता बालक थी और उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी ?

(ii). क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध पीड़िता के साथ मारपीट किये जाने व घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिये जाने जाने के लगाये गये आरोप को सिद्ध करने में सफल है ?

(iii). क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ बार–बार बलात्संग करने व गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला करने के आरापों को सिद्ध करने में सफल है ?

–: विश्लेषण और निष्कर्ष :–

11. अभियुक्त के ऊपर लगाये गये पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के आरोप तथा घटना की तिथि पर पीड़िता के 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका होने के तथ्य व प्रसंग के संदर्भ में सर्वप्रथम इस मामले में घटना की तिथि पर पीड़िता के उम्र पर विचार किया जाना आवश्यक दिखाई देता है।

12. **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 34** यह उपबंधित करता है –

"Procedure in case of commission of offence by child and determination of age by Special Court.—(1) Where any offence under this Act is committed by a child, such child shall be dealt with under the provisions of 1[the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016)].

(2) If any question arises in any proceeding before the Special Court whether a person is a child or not, such question shall be determined by the Special Court after satisfying itself about the age of such person and it shall record in writing its reasons for such determination.

(3) No order made by the Special Court shall be deemed to be invalid merely by any subsequent proof that the age of a personas determined by it under sub-section (2) was not the correct age of that person."

13. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94 यह उपबंधित करता है –

"94. (1) Where, it is obvious to the Committee or the Board, based on the appearance of the person brought before it under any of the provisions of this Act (other than for the purpose of giving evidence) that the said person is a child, the Committee or the Board shall record such observation stating the age of the child as nearly as may be and proceed with the inquiry under section 14 or section 36, as the case may be, without waiting for further confirmation of the age.

(2) In case, the Committee or the Board has reasonable grounds for doubt regarding whether the person brought before it is a child or not, the Committee or the Board, as the case may be, shall undertake the process of age determination, by seeking evidence by obtaining —

(i) the date of birth certificate from the school, or the matriculation or equivalent certificate from the concerned examination Board, if available; and in the absence thereof;

(ii) the birth certificate given by a corporation or a municipal authority or a panchayat;

(iii) and only in the absence of (i) and (ii) above, age shall be determined by an ossification test or any other latest medical age determination test conducted on the orders of the Committee or the Board:

Provided such age determination test conducted on the order of the Committee or the Board shall be completed within fifteen days from the date of such order.

(3) The age recorded by the Committee or the Board to be the age of person so brought before it shall, for the purpose of this Act, be deemed to be the true age of that person."

14. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 34 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94 का संयुक्त निर्वचन करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने **P. Yuvaprakash vs. State Rep. By Inspector of Police, 2023 INSC 676 अंतर्गत Criminal Appeal No(s). 1898 of 2023 निर्णीत दिनांक 18.07.2023** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि –

13. It is evident from conjoint reading of the above provisions that wherever the dispute with respect to the age of a person arises in the context of her or him being a victim under the

POCSO Act, the courts have to take recourse to the steps indicated in Section 94 of the JJ Act….."

15. इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त सिद्धांत को दृष्टि में रखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत मामले में पीड़िता की उम्र का निर्धारण किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94 में दिये गये प्रावधान के अनुसार अभिनिश्चित किया जाना है।

16. तहरीर प्रदर्श पी–1 में पीड़िता ने अपनी उम्र 17 वर्ष होना अंकित किया है। पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट की प्रति प्रदर्श पी–8 में पीड़िता की जन्म तिथि दिनांक 01.06.2006 और उम्र 17 वर्ष 5 महीना अंकित दिखाई देता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दिये बयान में पीड़िता ने अपनी उम्र 17 वर्ष होना बताया है। पीड़िता साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 ने अपने बयान में अपनी जन्म तिथि दिनांक 01. 06.2006 होना बताया है। अभियुक्त ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दिये बयान में पीड़िता की जन्म तिथि दिनांक 01.06.2006 होने को गलत बताया है और यह कहा है कि पीड़िता की मॉ के साथ अभियुक्त की शादी के समय पीड़िता की उम्र 6 वर्ष थी। यद्यपि प्राथमिक विद्यालय इंचौली विकास क्षेत्र–रजपुरा मेरठ के प्रभारी प्रधानाध्यापक साक्षी पी0डब्ल्यू0–4 ने उक्त विद्यालय द्वारा जारी लीविंग सर्टिफिकेट प्रदर्श पी–6 और विद्यालय के एस0आर0 रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी–7 की शिनाख्त करते हुए और इन प्रपत्रों को सिद्ध करते हुए विद्यालय के अभिलेख में पीड़िता की जन्मतिथि दिनांक 01.01.2006 अंकित होना बताया है, तथापि इस साक्षी ने अपने बयान में यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसके विद्यालय अभिलेख में पीड़िता की जन्म तिथि दिनांक 01.06.2006 किस आधार पर अंकित की गई थी। इस साक्षी ने विद्यालय के अभिलेख में पीड़िता की जन्मतिथि उसके माता–पिता या पीड़िता के जन्म के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले किस विशिष्ट व्यक्ति के बताने के आधार पर अंकित किये जाने का कोई कथन नहीं किया है।

17. प्रथम विवेचक साक्षी पी0डब्ल्यू0–7 ने अपने मुख्यपरीक्षा बयान में मात्र यह कहा है कि दिनांक 13.07.2023 को उसके द्वारा पीड़िता की आयु के संबंध में पीड़िता के कक्षा 5 विद्यालय के प्रधानाध्यापक को नोटिस विशेष वाहक कॉ0 आरिफ हुसैन के माध्यम से भेजा गया था और विशेष वाहक आरिफ हुसैन द्वारा पीड़िता का कक्षा 5 उत्तीर्ण का लीविंग सर्टिफिकेट मय जन्म तिथि प्रमाणपत्र प्रदर्श पी–6 व प्रदर्श पी–5 उसे उपलब्ध कराया था। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र दाखिल करने वाले द्वितीय विवेचक साक्षी पी0डब्ल्यू0–8 ने अपने बयान में पीड़िता के जन्मतिथि अथवा उम्र के संबंध में कोई जॉच किये जाने अथवा कोई साक्ष्य संकलित किये जाने का कोई कथन नहीं किया है।

18. पीड़िता की सौतेली मॉ साक्षी पी0डब्ल्यू0—9 से उसकी मुख्यपरीक्षा में न तो अभियोजन द्वारा पीड़िता की उम्र अथवा जन्मतिथि के संबंध में कोई प्रश्न पूछा गया है और न ही इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में पीड़िता की उम्र अथवा जन्मतिथि के संबंध में कोई कथन किया गया है। अभियुक्त की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने अभियुक्त के कथन का समर्थन करते हुए यह कहा है कि जिस दिन उसके पति ने पीड़िता की मॉ से शादी किया था उस दिन पीड़िता 6 साल की थी और अभियुक्त की पीड़िता की मॉ से शादी हुए जून 2023 में 15 साल हो गये थे। इस प्रकार यदि इस साक्षी के इस बयान के आधार पर पीड़िता के उम्र का निर्धारण किया जाय तो जून 2023 में अभियुक्त की पीड़िता की मॉ से शादी हुए 15 साल हो जाने और उक्त शादी के समय पीड़िता की उम्र 6 साल होने को दृष्टि में रखते हुए वर्ष 2023 में पीड़िता की उम्र 15 वर्ष + 6 वर्ष = 21 वर्ष अवगणित होता है।

19. पीड़िता के उम्र के संबंध में उसकी सगी मॉ एक महत्वपूर्ण साक्षी है। पीड़िता की सगी मॉ साक्षी पी0डब्ल्यू0—10 से उसकी मुख्यपरीक्षा में अभियोजन द्वारा पीड़िता की उम्र अथवा जन्मतिथि के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। साक्षी पी0डब्ल्यू0—10 ने अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि अभियुक्त उसका दूसरा पति है इससे पहले उसका विवाह अन्य पुरूष से हुआ था। पीड़िता उसे व उसके पहले पति के संसर्ग से पैदा हुई है। पीड़िता जब लगभग 6 वर्ष की थी तब उसके पहले पति ने दूसरी औरत से शादी कर लिया था और तब उसने अभियुक्त के साथ शादी किया था। तथाकथित घटना के दिन अभियुक्त से उसकी शादी हुए 15 वर्ष हो गये थे। इस प्रकार इस साक्षी का बयान अभियुक्त और साक्षी पी0डब्ल्यू0—9 के बयान के समान दिखाई देता है। इस साक्षी के बयान से भी घटना वर्ष 2023 में पीड़िता की उम्र 15 वर्ष + 6 वर्ष = 21 वर्ष अवगणित होता है। अभियुक्त भी पीड़िता का सौतेला पिता है और साक्षी पी0डब्ल्यू0—9 पीड़िता की सौतेली माता है तथा साक्षी पी0डब्ल्यू0—10 पीड़िता की सगी माता है। किसी बच्चे की उम्र या जन्मतिथि के संबंध में उस बच्चे के माता—पिता से बेहतर और महत्वपूर्ण साक्षी अन्य कोई नहीं हो सकता है और स्वयं पीड़िता की सगी माता के बयान के अनुसार कथित घटना के समय पीड़िता की उम्र 21 वर्ष होना अवगणित होता है।

20. अभियोजन द्वारा पीड़िता के उम्र व जन्मतिथि के संबंध में तीन दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, पहला कथित पीड़िता के विद्यालय प्राथमिक विद्यालय इंचौली विकास क्षेत्र रजपुरा मेरठ द्वारा जारी लीविंग सर्टिफिकेट की प्रति प्रदर्श पी—6, दूसरा कथित पीड़िता के उक्त कथित प्राथमिक विद्यालय इंचौली विकास क्षेत्र रजपुरा मेरठ के एस0आर0 रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी—7 और तीसरा दस्तावेज प्राथमिक विद्यालय

इंचौली विकास क्षेत्र रजपुरा मेरठ के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रदर्श पी–5 है। यह प्रमाणपत्र उक्त विद्यालय के अभिलेख के आधार पर दिया गया प्रमाणपत्र है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पीड़िता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 या धारा 164 के अंतर्गत दिये बयान अथवा न्यायालय में साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 के रूप में दिये बयान में उसके कक्षा–5 तक प्राथमिक विद्यालय इंचौली, मेरठ में पढ़ाई करने का कोई कथन नहीं किया है। पीड़िता के भाई, सौतेली माँ व सगी माँ ने भी पीड़िता के कक्षा–5 तक प्राथमिक विद्यालय इंचौली, मेरठ से पढ़ाई करने का कोई कथन नहीं किया है। विवेचक साक्षियों ने भी अपने बयान में यह स्पष्ट नहीं किया है कि पीड़िता के कक्षा–5 तक प्राथमिक विद्यालय इंचौली मेरठ से पढ़ाई करने की जानकारी उन्हें कैसे और किस स्रोत से हुई।

21. पत्रावली में संलग्न लीविंग सर्टिफिकेट प्रदर्श पी–6 और एस0आर0 रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी–7 में पीड़िता की माता का नाम वह अंकित नहीं है जो पीड़िता द्वारा तहरीर प्रदर्श पी–1 में अंकित किया गया है और जो नाम पीड़िता द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 व धारा 164 के अंतर्गत दिये गये बयानों बताया गया है। एस0आर0 रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी–7 में कथित पीड़िता की जन्म तिथि में पहले कोई और तिथि अंकित होना और फिर उसे काटकर दिनांक 01.06.2006 अंकित किया जाना दर्शित होता है। इस एस0आर0 रजिस्टर में ही पीड़िता के अंकित जन्म तिथि दिनांक 01.01.2006 के आगे **''बाद में आधार के अनुसार''** अंकित दिखाई देता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय के मूल अभिलेख एस0आर0 रजिस्टर में पूर्व अंकित जन्मतिथि को काटकर जो दिनांक 01.06.2006 अंकित किया गया है वह आधार कार्ड के अनुसार अंकित किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि एस0आर0 रजिस्टर की प्रति के साथ अभियोजन द्वारा पीड़िता के आधार कार्ड की कोई प्रति संलग्न नहीं किया गया है। समग्र पत्रावली में अभियोजन द्वारा पीड़िता के आधार कार्ड की कोई प्रति संलग्न किया जाना दर्शित नहीं होता है।

22. प्रथम विवेचक साक्षी पी0डब्ल्यू0–7 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि पीड़िता ने अपने बयान में अपनी माता का नाम कुछ और बताया था और पीड़िता के कक्षा–5 उत्तीर्ण के लीविंग सर्टिफिकेट में पीड़िता की माँ का नाम कुछ और अंकित है। यह साक्षी अपनी आगे की प्रतिपरीक्षा में कहती है कि वह पीड़िता के प्रधानाध्यापक का बयान लेने के लिए मेरठ नहीं गयी थी। द्वितीय विवेचक साक्षी पी0डब्ल्यू0–8 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि वह पीड़िता की माता से नहीं मिली है और न ही उनका कोई बयान लिया है। इस साक्षी ने आगे यह कहा है कि उसकी विवेचना के अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि का आधार उसके कक्षा–5 का स्थानांतरण प्रमाणपत्र है,

जो पत्रावली में प्रदर्श पी–6 के रूप में संलग्न है। इस साक्षी ने आगे यह स्वीकार किया है कि यह कहना सही है कि पीड़िता की माता का जो नाम तहरीर में उल्लिखित है वह नाम पीड़िता के स्कूल के स्थानान्तरण प्रमाणपत्र में नहीं है बल्कि भिन्न नाम है। इस साक्षी ने आगे की प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि तहरीर प्रदर्श पी–1 में पीड़िता की सगी मॉ और सौतेली मॉ का नाम उल्लिखित है, किन्तु उक्त दोनों नाम पीड़िता के स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट में अंकित पीड़िता की माता के नाम से भिन्न हैं और यह कहना सही है कि उसने नामों की इस भिन्नता के विषय में कोई जॉच नहीं किया। इस साक्षी ने आगे यह कहा है कि पीड़िता के स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और प्रधानाध्यापक के प्रमाणपत्र के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज उसने अथवा पूर्व विवेचक ने पीड़िता की जन्मतिथि के संबंध में संकलित नहीं किया।

23. पीड़िता के विद्यालय की प्रधानाध्यापिका साक्षी पी0डब्ल्यू0–4 ने यद्यपि अपनी मुख्यपरीक्षा में पत्रावली में संलग्न लीविंग सर्टिफिकेट प्रदर्श पी–5 और एस0आर0 रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी–6 को साबित करते हुए उक्त लीविंग सर्टिफिकेट पीड़िता का होने और लीविंग सर्टिफिकेट तथा एस0आर0 रजिस्टर में पीड़िता की जन्म तिथि दिनांक 01.01.2006 अंकित होने का कथन किया है, तथापि इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि इस एस0आर0 रजिस्टर में पीड़िता के आयु एवं नाम संबंधी कॉलम में कटिंग की गई है और इसमें तिथि बदल दी गई है और उस पर विद्यालय की कोई मोहर नहीं लगी है। यद्यपि इस साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा बयान में एस0आर0 रजिस्टर में पीड़िता के नाम व जन्म तिथि के संबंध में कोई कटिंग होने का कोई कथन तथा उक्त कटिंग किये जाने का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है, तथापि प्रतिपरीक्षा में पूछे जाने पर यह साक्षी एस0आर0 रजिस्टर में विद्यमान इस कटिंग के तथ्य को स्वीकार करती है। इस साक्षी ने इस कटिंग के संबंध में आगे यह कहा है कि यह कटिंग तत्कालीन प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यार्थी के आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की गई है और उस पर अपना हस्ताक्षर किया गया है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि इस साक्षी ने अपने इस बयान में तत्कालीन प्रधानाध्यापक के साथ काम करने और उनके लेख एवं हस्ताक्षर से परिचित होने का कोई कथन नहीं किया है। इस साक्षी ने एस0आर0 रजिस्टर में जन्म तिथि में की गई कटिंग पर दृश्य हस्ताक्षर तत्कालीन प्रधानाध्यापक का ही होने का कोई कथन नहीं किया है। विद्यालय का मूल एस0आर0 रजिस्टर बयान के समय न्यायालय के समक्ष लाने के बावजूद यह साक्षी अपनी आगे की प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार करती है कि इस रजिस्टर में पीड़िता के आधार कार्ड की कोई प्रति नहीं लगी है और इस एस0आर0 रजिस्टर में पीड़िता का कोई जन्म प्रमाणपत्र व उसके अभिभावक का शपथपत्र भी नहीं लगा है। तहरीर प्रदर्श पी–1

का अवलोकन करने पर यह साक्षी कहती है कि इस तहरीर में पीड़िता के माता व पिता का जो नाम अंकित है यह नाम एस0आर0 रजिस्टर में अंकित नहीं है, बल्कि भिन्न नाम अंकित है।

24. उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पीड़िता की उम्र और जन्म तिथि के संबंध में पत्रावली में प्रथमिक विद्यालय इंचौली विकास क्षेत्र रजपुरा मेरठ के एस0आर0 रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी–7 तथा स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की प्रति प्रदर्श पी–6 के अतिरिक्त पीड़िता के जन्म तिथि का कोई प्रमाणपत्र अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। लीविंग सर्टिफिकेट प्रदर्श पी–6 में कथित पीड़िता की जन्म तिथि का अंकन उसके विद्यालय के एस0आर0 रजिस्टर में अंकित जन्म तिथि के आधार पर किया गया है। एस0आर0 रजिस्टर प्रदर्श पी–7 में पीड़िता के माता–पिता अथवा पीड़िता के जन्म के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले किसी निकट संबंधी द्वारा बताये जाने के आधार पर पीड़िता का जन्म तिथि दिनांक 01.06.2026 अंकित किये जाने का उल्लेख दिखाई नहीं देता है, अपितु इस एस0आर0 रजिस्टर में **आधार के अनुसार** दिनांक 01.01.2006 जन्म तिथि अंकित किये जाने का उल्लेख दिखाई देता है। एस0आर0 रजिस्टर में उक्त कटिंग किस व्यक्ति द्वारा अथवा किस प्रधानाध्यापक द्वारा की गई और उक्त कटिंग पर किस प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर है इस संबंध में न तो विवेचक साक्षियों ने कोई कथन किया है और न ही साक्षी पी0डब्ल्यू0–4 ने उक्त कटिंग करने वाले प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर की कोई शिनाख्त किया है। पीड़िता की सगी माता साक्षी पी0डब्ल्यू0–10 ने अपने बयान में प्राथमिक विद्यालय इंचौली विकास क्षेत्र रजपुरा मेरठ में पीड़िता का कक्षा 1 में प्रवेश कराये जाने और पीड़िता के वहॉ कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक पढ़ने का कोई कथन नहीं किया है। साक्षी पी0डब्ल्यू0–10 ने अपने बयान में उक्त विद्यालय के एस0आर0 रजिस्टर में उसके द्वारा अथवा उसके सगे पति द्वारा अथवा पीड़िता के जन्म के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले उसके किसी निकट संबंधी द्वारा उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक को पीड़िता की जन्म तिथि दिनांक 01.06.2006 बताये जाने का कोई कथन नहीं किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन ने जिस स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और विद्यालय के एस0आर0 रजिस्टर के आधार पर पीड़िता की जन्मतिथि दिनांक 01.01.2006 होने का दावा किया है वह एस0आर0 रजिस्टर और लीविंग सर्टिफिकेट ही स्वयं में संदिग्ध दिखाई देता है। पीड़िता की सगी माता साक्षी पी0डब्ल्यू0–10 के बयान के अनुसार घटना की तिथि पर पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से अधिक और लगभग 21 वर्ष होना दिखाई देता है।

25. अभियुक्त की ओर से **Manak Chand @ Mani vs. The State of Haryana, 2023 INSC 959 अंतर्गत Criminal Appeal No. 2276 of**

2014 निर्णय दिनांक 30.10.2023 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष आये उक्त मामले में पीड़िता की वास्तविक जन्म तिथि का तथ्य प्रश्नास्पद था। उक्त मामले में अभियोजन द्वारा विद्यालय के जिस रजिस्टर को पीड़िता के जन्म तिथि के संबंध में प्रस्तुत किया गया था उस रजिस्टर में पीड़िता की जन्म तिथि उसके प्राइमरी स्कूल के स्थानान्तरण प्रमाणपत्र के आधार पर दर्ज किये जाने का तथ्य था, किन्तु अभियोजन द्वारा उक्त प्राइमरी स्कूल द्वारा जारी स्थानान्तरण प्रमाणपत्र को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वयं द्वारा **Birad Mal Singhvi vs. Anand Purohit (1988) Supp SCC 604** में प्रतिपादित निम्न सिद्धांत का उद्धृत किया है –

> "14. …The date of birth mentioned in the scholar's register has no evidentiary value unless the person who made the entry or who gave the date of birth is examined. The entry contained in the admission form or in the scholar's register must be shown to be made on the basis of information given by the parents or a person having special knowledge about the date of birth of the person concerned. If the entry in the scholar's register regarding date of birth is made on the basis of information given by parents, the entry would have evidentiary value but if it is given by a stranger or by someone else who had no special means of knowledge of the date of birth, such an entry will have no evidentiary value."

26. उपर्युक्त सिद्धांत को उद्धृत करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि –

> "In our opinion, the proof submitted by the prosecution with regard to the age of the prosecutrix in the form of the school register was not sufficient to arrive at a finding that the prosecutrix was less than sixteen years of age, especially when there were contradictory evidences before the Trial Court as to the age of the prosecutrix."

27. वर्तमान मामले में भी विवेचक साक्षी पी0डब्ल्यू0–7 और पी0डब्ल्यू0–8 तथा प्रधानाध्यापक साक्षी पी0डब्ल्यू0–4 द्वारा अपने बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि विद्यालय के एस0आर0 रजिस्टर में कथित पीड़िता की जन्म तिथि दिनांक 01.01.2006

उसकी माता अथवा पिता अथवा उसके जन्म के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले किस व्यक्ति के बताने के आधार पर अंकित किया गया था। उक्त एस0आर0 रजिस्टर में कथित पीड़िता के जिस आधार कार्ड के आधार पर उसकी जन्म तिथि दिनांक 01.01.2006 अंकित होने का उल्लेख है, उस कथित आधार कार्ड की भी कोई प्रति न तो एस0आर0 रजिस्टर के साथ संलग्न पायी गयी है और न ही अभियोजन द्वारा पत्रावली में उक्त आधार कार्ड को संलग्न किया गया है। पीड़िता के जन्म तिथि के संबंध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रमुख साक्ष्य विद्यालय के एस0आर0 रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी–7 में जहॉ एक तरफ कथित पीड़िता की पूर्व अंकित जन्म तिथि को काटकर दिनांक 01.06.2006 अंकित किया गया है और उक्त कटिंग करने वाले के लेख एवं हस्ताक्षर को किसी भी अभियोजन साक्षी द्वारा सिद्ध व शिनाख्त नहीं किया गया है, वहीं दूसरी तरफ उक्त एस0आर0 रजिस्टर में कथित पीड़िता की माता का नाम वह अंकित नहीं है जो पीड़िता की माता का नाम है। साक्षी पी0डब्ल्यू0–4 ने अपने बयान में स्वयं यह स्वीकार किया है कि तहरीर प्रदर्श पी–1 में पीड़िता की माता और पिता का जो नाम अंकित है वह नाम एस0आर0 रजिस्टर में अंकित नहीं है। स्वयं पीड़िता की सगी माता का बयान उसकी जन्मतिथि के संबंध में विद्यालय के एस0आर0 रजिस्टर में अंकित जन्म तिथि से मेल नहीं खाता है। पीड़िता साक्षी पी0डब्ल्यू0–1, उसके भाई साक्षी पी0डब्ल्यू0–3, पीड़िता की सौतेली माता साक्षी पी0डब्ल्यू0–9 व पीड़िता की सगी माता साक्षी पी0डब्ल्यू0–10 ने पीड़िता के कथित प्राथमिक विद्यालय इंचौली, मेरठ में कक्षा–5 तक पढ़ने का कोई कथन नहीं किया है। विवेचक साक्षी पी0डब्ल्यू0–7 ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसे पीड़िता के कक्षा–5 तक प्राथमिक विद्यालय इंचौली मेरठ से पढ़ाई करने की जानकारी किस स्रोत से हुई। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त सिद्धांत को दृष्टि में रखते हुए अभियोजन द्वारा पीड़िता के जन्म तिथि के संबंध में प्रस्तुत एस0आर0 रजिस्टर और लीविंग सर्टिफिकेट से संबंधित दस्तावेज विश्वसनीय दिखाई नहीं देते हैं और इन संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर पीड़िता की जन्मतिथि दिनांक 01.01.2006 होने का निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

28. पत्रावली में संलग्न एस0आर0 रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी–7 और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के अवलोकन से कथित पीड़िता के उक्त विद्यालय में कक्षा–1 में प्रवेश की तिथि इन प्रपत्रों में दिनांक 25.07.2016 अंकित दिखाई देता है। यदि इन प्रपत्रों में पीड़िता की अंकित जन्मतिथि दिनांक 01.01.2006 से भी विचार किया जाय तो दिनांक 01.01.2006 से दिनांक 25.07.2016 को 10 वर्ष 6 माह 24 दिन की अवधि अवगणित होती है। लगभग 10½ वर्ष की उम्र में कथित पीड़िता का कक्षा–1 में प्रवेश लेना यद्यपि असंभव तो नहीं दिखाई देता, तथापि कक्षा–1 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की सामान्य उम्र

4 से 6 वर्ष को दृष्टि में रखते हुए 10½ वर्ष की उम्र में किसी छात्र का कक्षा–1 में प्रवेश लेना अविश्वसनीय लगता है। यह अविश्वसनीयता विद्यालय के इन प्रपत्रों को संदिग्ध और अविश्वसनीय बनाती है।

29. यदि अभियोजन द्वारा बताई गई पीड़िता की जन्म तिथि दिनांक 01.01.2006 को भी सत्य माना जाय तो इस तिथि से अवगणित करने पर कथित घटना की तिथि दिनांक 24.06.2023 को पीड़िता की उम्र 17 वर्ष 5 महीना 23 दिन अर्थात लगभग वयस्कता की उम्र 18 वर्ष के पास दिखाई देता है।

30. उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि एक तरफ अभियोजन पीड़िता की जन्म तिथि दिनांक 01.01.2006 होने और घटना की तिथि पर उसकी उम्र 18 वर्ष से कम होने को निश्चितता के साथ सिद्ध नहीं कर सका है और दूसरी तरफ दिनांक 01.01.2006 की जन्म तिथि के आधार पर भी घटना के समय पीड़िता की उम्र 17 वर्ष 05 माह 23 दिन अर्थात वयस्कता की उम्र के काफी सन्निकट दिखाई देता है और पीड़िता की समझ परिपक्व दिखाई देता है।

31. तहरीर प्रदर्श पी–1 में पीड़िता ने यह उल्लिखित किया है कि वह अपनी दादी के साथ मेरठ में रहती थी, उसकी मॉ की दूसरी शादी अभियुक्त से हुई थी। पिछले वर्ष उसकी मॉ उसे अपने साथ मेरठ से गनियाद्योली रानीखेत लेकर आयी थी और तब से वह अपनी और सौतेले पिता के साथ रह रही थी। दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दिये बयान में पीड़िता ने पहले अपनी दादी के साथ मेरठ में रहने और पिछले वर्ष उसकी मॉ द्वारा उसे अपने साथ मेरठ से गनियाद्योली लेकर अभियुक्त के साथ रहने का कोई कथन नहीं किया है। साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 के रूप में बयान देते हुए पीड़िता ने यह कहा है कि इससे पहले वह मेरठ में अपने सगे पापा व दादी के साथ रहती थी। जब वह दो वर्ष की थी तब उसकी सगी मम्मी ने उसके सगे पापा को छोड़ दिया था और अभियुक्त के साथ शादी कर लिया था और उसकी सगी मम्मी रानीखेत अभियुक्त के साथ उसके किराये के कमरे में अभियुक्त की पहली पत्नी और बच्चों के साथ रहती थी और उसकी मम्मी उसे पिछले साल रानीखेत अभियुक्त के किराये के कमरे में लेकर आयी थी और वहॉ पर वह अभियुक्त की पहली पत्नी, उसके बच्चे, और अपनी सगी मॉ के साथ रहने लगी।

32. साक्षी पी0डब्ल्यू0–3 ने अपने बयान में यह कहा है कि अभियुक्त उसका पिता है और पीड़िता उसकी सौतेली बहन है। पीड़िता अभियुक्त की दूसरी पत्नी की बेटी है। अभियुक्त अपनी पत्नी, बच्चों के साथ किराये के मकान में रहते थे। उसके पिताजी, उसकी मॉ और उन लोगों को रामनगर से लेकर आये थे। पीड़िता भी उसकी मॉ और उनके साथ रहती थी। इस साक्षी ने पीड़िता के पहले मेरठ में अपनी दादी के साथ रहने

और पिछले साथ पीड़िता के गनियाद्योली रानीखेत आने का कोई कथन नहीं किया है। साक्षी पी0डब्ल्यू0–9 ने भी अपने बयान में पहले पीड़िता के दादी के साथ मेरठ में रहने और पिछले साल से ही पीड़िता के उसके साथ गनियाद्योली रानीखेत में रहने का कोई कथन नहीं किया है। पीड़िता की सगी माता साक्षी पी0डब्ल्यू0–10 ने भी अपने बयान में पीड़िता के पहले अपनी दादी के साथ मेरठ में रहने और केवल पिछले वर्ष से पीड़िता के उनके साथ गनियाद्योली रानीखेत में निवास करने का कोई कथन नहीं किया है। साक्षी पी0डब्ल्यू0–10 अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में पीड़िता के कथन का खंडन करते हुए यह कहती है कि शादी के बाद वह अभियुक्त के साथ रहने लगी और पीड़िता भी उसके साथ ही रहती थी। रानीखेत किराये के कमरे में वह, अभियुक्त, पीड़िता, उसकी अभियुक्त से पैदा बेटी, अभियुक्त की दूसरी पत्नी, उसकी सौतन के दो बेटे व एक बेटी रहते थे। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि जहॉ तहरीर में और अपने मौखिक बयान में पीड़िता ने पहले अपनी दादी के साथ मेरठ में रहने और पिछले वर्ष उसकी सगी मॉ और उसे मेरठ से गनियाद्योली रानीखेत लेकर आने का कथन किया है, वही पीड़िता की सगी मॉ साक्षी पी0डब्ल्यू0–10 ने पीड़िता के इस तथ्य का खण्डन करते हुए शादी के समय से ही पीड़िता के भी उसके साथ अभियुक्त के घर में रहने का कथन किया है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि पीड़िता की दादी को अभियोजन द्वारा पेश या परीक्षित कराने का कोई पहल या प्रयास नहीं किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि मेरठ से पीड़िता के अभियुक्त के साथ रहने के लिए आने के बिन्दु पर पीड़िता और उसकी सगी मॉ के बयान में विरोध दिखाई देता है।

33. तहरीर प्रदर्श पी–1 में यह उल्लिखित है कि इस बीच पीड़िता की मॉ का अभियुक्त के साथ झगड़ा होने के कारण पीड़िता की मॉ दूसरी जगह चली गई थी और उसकी मॉ के जाने के बाद अभियुक्त ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और छेड़छाड़ किया। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दिये बयान में भी पीड़िता ने पिछले महीने उसके सौतेले पापा और उसकी मम्मी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा होने और उसकी सगी मम्मी के कहीं चले जाने का कथन किया है। पीड़िता ने अपने इस बयान में उसकी सगी मम्मी के कहीं चले जाने का यह कथानक प्रस्तुत किया है कि पिछले महीने अभियुक्त और उसकी सगी मम्मी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिस पर उसकी सगी मम्मी अभियुक्त की शिकायत करने के लिए थाने गयी थी। जिस पर थाने वालों ने मामले में समझा–बुझा कर उन्हें घर भेज दिया था। जब थाने वह और उसकी मम्मी वापस आ रहे थे और अभियुक्त तथा उसकी सौतेली माता थाने पर ही रूक गये थे, तब साथ–साथ आते हुए उसकी मम्मी बीच रास्ते से कहीं चली गई थी। उसने आसपास उन्हें ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली। फिर वह अपने घर आ

गयी। उसने अभियुक्त को फोन पर सब बात बताई। अभियुक्त ने उसकी मम्मी के मोबाइल पर कॉल किया लेकिन मम्मी ने कॉल नहीं उठाया, उसके बाद मम्मी ने फोन ही स्विच ऑफ कर दिया और उसकी मम्मी के घर से जाने के बाद अभियुक्त उसके ऊपर बुरी नजर रखे लगा। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि पीड़िता ने तहरीर प्रदर्श पी–1 में ऐसा कोई कथानक प्रस्तुत नहीं किया है। पीड़िता ने पी0डब्ल्यू0–1 के रूप बयान देते हुए भी उसकी सगी मॉ और अभियुक्त के बीच झगड़े की बात पुलिस तक पहुॅचने, उनके पुलिस थाने जाने और पुलिस द्वारा उन्हें समझा–बुझाकर वापस घर भेज देने, उसकी सौतेली माता तथा अभियुक्त के थाने पर ही रूक जाने और उसके तथा उसकी सगी मॉ के घर के लिए चल देने और रास्ते में उसकी मॉ के कहीं गायब हो जाने और उसका फोन स्विच ऑफ हो जाने आदि कोई कथन नहीं किया है।

34. इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि पीड़िता के सौतेले भाई साक्षी पी0डब्ल्यू0–3, सौतेली माता साक्षी पी0डब्ल्यू0–9 और सगी माता साक्षी पी0डब्ल्यू0–10 ने पीड़िता द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत बयान देते हुए पीड़िता की सगी मॉ के कहीं अन्यत्र चले जाने के प्रस्तुत कथानक का कोई समर्थन नहीं किया है।

35. साक्षी पी0डब्ल्यू0–9 ने अपने बयान में यह स्पष्ट कहा है कि दिनांक 23.06.2023 की रात को उसके घर पर वह, उसकी सौतन (पीड़िता की सगी मॉ), उसके पति (अभियुक्त), उसके दो बेटे तथा उसकी छोटी बेटी थे। इस साक्षी ने पीड़िता की सगी मॉ और अभियुक्त के बीच किसी प्रकार का कोई झगड़ा होने और पीड़िता के गनियाद्योली रानीखेत से कहीं अन्य जगह चले जाने का कोई कथन नहीं किया है। यह साक्षी घटना के दौरान पीड़िता के सगी मॉ के भी उनके साथ गनियाद्योली रानीखेत में ही रहने का कथन करती है और यह भी कहती है कि पीड़िता के रात में घर से जाने पर उसके घर आने पर उसकी मॉ ने भी उससे पूछा कि वह रात में कहॉ गयी थी। तब पीड़िता ने अपनी सगी मॉ से भी झगड़ा किया था। इस साक्षी ने आगे की प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि वे लोग जिस किराये के कमरे में कथित घटना के समय रहते थे, उस घर में रहने के लिए दो कमरे थे, एक कमरे में अयुिक्त, तथा दो बेटे सोते थे और अन्दर वाले कमरे में वह, उसकी सौतन, उसकी बेटी और पीड़िता सोते थे। इस प्रकार यह साक्षी घटना के समय पीड़िता की मॉ के भी उनके साथ ही रहने का कथन करती है।

36. पीड़िता की सगी मॉ साक्षी पी0डब्ल्यू0–10 ने भी अपने बयान में उसके और अभियुक्त के बीच किसी प्रकार का कोई झगड़ा होने और उक्त झगड़े के कारण उसके कहीं अन्यत्र चले जाने का कोई कथन नहीं किया है। इस साक्षी ने अभियुक्त की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि अभियुक्त से शादी के बाद वह अभियुक्त के साथ रहने लगी और पीड़िता भी उसके साथ रहती थी। रानीखेत किराये के कमरे में अभियुक्त

के परिवार में अभियुक्त, वह, पीड़िता, उसकी अभियुक्त से पैदा बेटी, अभियुक्त की दूसरी पत्नी, उसकी सौतन के दो बेटे और एक बेटी रहते थे। इस प्रकार यह साक्षी भी साक्षी पी0डब्ल्यू0–9 के कथनों का समर्थन करते हुए घटना के दौरान उसके कहीं अन्यत्र न होकर अपितु पीड़िता के साथ अभियुक्त के किराये वाले कमरे में ही रहने का कथन करती है। साक्षी पी0डब्ल्यू0–3 ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि उनके किराये के मकान में कुल 7 लोग निवास करते हैं, एक कमरे में वह, उसके पिता व उसका छोटा भाई रहते थे और दूसर कमरे में उसकी दो मातायें और पीड़िता के अलावा एक अन्य बहन रहती थी। सारे परिवार का भोजन एक साथ बनता था।

37. इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि पीड़िता का भाई, सौतेली मॉ और सगी मॉ पीड़िता के इस कथन का कोई समर्थन नहीं करते हैं कि घटना के दौरान पीड़िता की सगी मॉ कहीं अन्यत्र चली गई थी और वह पीड़िता तथा अभियुक्त के परिवार के अन्य सदस्यों के साथ नहीं रह रही थी।

38. पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा उसके साथ दो बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने, मारपीट करने और धमकी देने तथा दिनांक 23.06.2023 की रात अभियुक्त द्वारा पीड़िता की छाती में हाथ लगाकर छेड़खानी करने का अभियोग लगाया है। तहरीर प्रदर्श पी–1 में पीड़िता ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि अभियुक्त ने उसके साथ दो बार शारीरिक संबंध कब–कब किस तिथि व माह में बनाया था और किस स्थान पर बनाया था। तहरीर प्रदर्श पी–1 में दिनांक 23.06.2023 की रात अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ छेड़खानी किये जाने की किसी घटना का कोई उल्लेख दिखाई नहीं देता है। इस तहरीर में अभियुक्त द्वारा दिनांक 24.06.2023 को पीड़िता के साथ मारपीट करने और धमकी देने का उल्लेख दिखाई देता है।

39. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दिये बयान में भी पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा उसके साथ दो बार शारीरिक संबंध बनाने का कथन नहीं किया है, अपितु केवल एक बार की घटना का उल्लेख करते हुए यह कहा है कि एक रात जब वह अपने कमरे में सो रही थी तो रात में उसके पापा उसके कमरे में आये और उसका हाथ पकड़ा, जिससे वह जाग गयी और वह उसके पास लेट गये और छेड़खानी करने लगे, उसने उन्हें हटाया लेकिन वह नहीं हटे, फिर वह बेहोश हो गई। रात को सोने से पहले अभियुक्त ने उसे चाय पिलाई थी जो बहुत कड़वी थी, सुबह उठकर देखा तो उसके कपड़े, सलवार खुली हुई थी। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता को नशा करने वाला या बेहोश करने वाला कोई पदार्थ चाय में मिलाकर पिलाने का कोई कथन पीड़िता ने न तो तहरीर में किया और न ही साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 के रूप में दिये बयान में किया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 में पीड़िता द्वारा प्रस्तुत कहानी

तहरीर व पी0डब्ल्यू0–1 के रूप में पीड़िता के दिये गये बयान से भिन्न दिखाई देता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दिये बयान में भी पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये जाने की कथित घटना की कोई तिथि या माह नहीं बताया है और न ही यह स्पष्ट किया है कि उक्त कथित घटना कितने दिन पूर्व की थी। पीड़िता ने अपने इस बयान में यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने वाली कथित घटना की रात पीड़िता के कमरे में वह अकेले थी अथवा परिवार का अन्य कोई सदस्य भी उसके साथ सोया था। अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ बेहोशी की हालत में रात में उसके कपड़े उतारकर शारीरिक संबंध बनाने और सुबह तक उसके कपड़े व सलवार खुले होने की जानकारी उसी घर व कमरे में रात में साथ सोये पीड़िता की सौतेली मॉ या सगी मॉ और भाईयों व बहनों को न होना पीड़िता द्वारा कथित घटना को अत्यंत अविश्वसनीय व अस्वाभाविक बनाता है।

40. पीड़िता साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 ने न्यायालय में दिये बयान में भी यह नहीं बताया है कि अभियुक्त ने उसके साथ दो बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध किस तिथि को बनाया था। इस साक्षी ने अपने इस बयान में कहा है कि उसे तारीख याद नहीं है और जब वह अकेले कमरे में सो रही थी और दूसरे कमरे में अभियुक्त और उसके बीवी–बच्चे सो रहे थे तो अभियुक्त ने उसके कमरे में आकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद वह बेहोश हो गई थी। अभियुक्त ने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो जान से मार देगा। वह डर के मारे चुप रही। उसके बाद अभियुक्त ने एक बार और रात में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया, उसे तारीख याद नहीं है, लेकिन माह जून 2023 की बात है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि एक तरफ पीड़िता अभियुक्त द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसके बेहोश जो जाने का कथन करती है और दूसरी तरफ अभियुक्त द्वारा उसे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का और डर के कारण उसके चुप रहने का कथन करती है। यहॉ यह प्रश्न उठता है कि जब पीड़िता बेहोश हो गई थी तो बेहोशी की दशा में वह डर के कारण कैसे चुप रही और बेहोशी की दशा में अभियुक्त द्वारा उसे धमकी देते हुए उसने कैसे सुना ? यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि पीड़िता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत बयान देते हुए अभियुक्त द्वारा रात में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाली घटना के दिन अभियुक्त द्वारा उसे किसी प्रकार की कोई धमकी देने और पीड़िता के डर के मारे चुप रहने का कोई कथन नहीं किया है, अपितु यह कहा है कि जब सुबह उठकर उसने देखा तो उसके कपड़े, सलवार खुली हुई थी। इस प्रकार पीड़िता द्वारा दी गई तहरीर, पीड़िता द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दिये गये बयान

और पीड़िता द्वारा साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 के रूप में न्यायालय में दिये बयान में घटना के कथानक के संबंध में भिन्नता दिखाई देती है।

41. तहरीर प्रदर्श पी–1 में दिनांक 23.06.2023 की किसी घटना का कोई उल्लेख दिखाई नहीं देता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दिये बयान में पीड़िता ने यह कहा है कि दिनांक 23.06.2023 को उसके पापा ने रात को उसके साथ छेड़छाड़ की। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अपने इस बयान में पीड़िता ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि जब दिनांक 23.03.2023 को अभियुक्त ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी तो उस समय पीड़िता कमरे में अकेली थी अथवा उसके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी थे। यह भी उल्लेखनीय है कि पीड़िता ने अपने इस बयान में अभियुक्त द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ किये जाने की स्थिति में उसके द्वारा तत्काल आवाज करने या चिल्लाने या अपने भाई या मॉ से अभियुक्त के उक्त कृत्य के संबंध में बताने का कोई कथन नहीं किया है, अपितु यह कहा है कि उसने अभियुक्त से कहा कि उसकी शिकायत सुबह अपने भाई से करेगी। पीड़िता साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 ने अपने मौखिक बयान में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 में दिये गये बयान से भिन्न कथन करते हुए दिनांक 23.06.2023 की रात को उसके और उसकी छोटी बहन के बेड में सो रहे होने और नीचे फर्श पर अभियुक्त तथा उसकी पत्नी के सो रहे होने और अभियुक्त द्वारा उसकी छाती में हाथ लगाने पर उसके द्वारा उसी समय अभियुक्त को डॉटने का कथन किया है। इस प्रकार दिनांक 23.06.2023 की रात्रि अभियुक्त द्वारा छेड़छाड़ किये जाने पर पीड़िता द्वारा उसे डॉटने, फिर अभियुक्त की पत्नी के भी जाग जाने और अभियुक्त की पत्नी द्वारा भी अभियुक्त को डॉटने आदि के बिन्दु पर पीड़िता के दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दिये बयान और साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 के रूप में न्यायालय में दिये बयान में भिन्नता दिखाई देती है।

42. तहरीर प्रदर्श पी–1 में यह उल्लिखित है कि अभियुक्त द्वारा उसके साथ दो बार शारीरिक संबंध स्थापित किये जाने की बात उसने अपनी सौतेली मॉ और सौतेले भाई को भी बताई थी। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत बयान देते हुए पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा उसके साथ केवल एक बार शारीरिक संबंध बनाने की घटना का उल्लेख किया है और यह कहा है कि उसने अभियुक्त की शिकायत अपनी बड़ी मम्मी व सौतेले भाई से किया, जिस पर सौतेले भाई ने उसे थाने चलकर पापा की शिकायत करने को कहा, किन्तु वह डर के कारण थाने नहीं गयी। साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 के रूप में बयान देते हुए पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये जाने पर उक्त बात की शिकायत अपनी सौतेली मॉ या सौतेले भाई या किसी से भी किये जाने का कोई कथन नहीं किया है।

43. पत्रावली में संलग्न चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–8 के पैरा 15 A(vii) में पीड़िता द्वारा अपने हस्तलेख में घटना का वृत्तांत अंकित किया जाना दर्शित होता है। पीड़िता साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 और चिकित्सक साक्षी पी0डब्ल्यू0–5 ने अपने बयान में पीड़िता द्वारा चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श पी–8 में पीड़िता द्वारा अपने हस्तलेख में घटना का वृत्तांत लिखे जाने का कथन किया है। इस चिकित्सीय रिपोर्ट में अंकित पीड़िता के बयान के अनुसार उसके सौतेले पापा ने उसके साथ इसी महीने (जुलाई) तारीख उसे याद नहीं है उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया, जब वह बेहोश हो गई थी, उसके बाद उसने आज से तीन दिन पहले उसके साथ छेड़छाड़ की। जब वह रात को सो रही थी तब उसने उसकी छाती पर हाथ लगाया, फिर उसकी नींद खुल गई थी और उसने उसे रोका, उसने कहा सबको बता दूँगी, तब उसने उसे डाराया व धमकाया। पीड़िता द्वारा घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के तुरन्त बाद चिकित्सीय परीक्षण के दौरान अंकित किये गये घटना के वृत्तांत में पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा उसके साथ दो बार शारीरिक संबंध बनाये जाने का कथन नहीं किया है, अपितु केवल एक बार शारीरिक संबंध बनाने का कथन किया है। पीड़िता दिनांक 25.06.2023 को चिकित्सीय रिपोर्ट में घटना का वृत्तांत अंकित करते हुए यह कहती है कि आज से तीन दिन पहले अभियुक्त ने उसके साथ छेड़छाड़ किया था और उसकी छाती पर हाथ लगाया था। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 25.06.2023 से तीन दिन पहले दिनांक 22.06.2023 की तिथि अवगणित होती है और दिनांक 22.06.2023 को अभियुक्त द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ किये जाने की घटना का कोई कथन पीड़िता ने न तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दिये बयान में किया है और न ही साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 के रूप में न्यायालय में दिये गये बयान में किया है।

44. जहॉ दिनांक 23.06.2023 को पीड़िता द्वारा अभियुक्त को सुबह उसकी शिकायत अपने भाई से करने की बात बोलने और उसकी शिकायत थाने में करने की बात बोलने पर अभियुक्त द्वारा उसे धमकी दिये जाने का कथन पीड़िता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दिये गये बयान में किया है, वहीं साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 के रूप में न्यायालय में दिये बयान में पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा उसे किसी प्रकार की कोई धमकी दिये जाने का कथन नहीं किया है, अपितु यह कहा है कि पीड़िता ने भी अभियुक्त को डॉटा और अभियुक्त की पत्नी भी जाग गई थी और उसने भी अभियुक्त को डॉटा, तब अभियुक्त ने कहा कि उसका गलती से हाथ लग गया था। इस प्रकार इस बिन्दु पर पीड़िता द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दिये बयान और साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 के रूप में न्यायालय में दिये बयान में तात्विक भिन्नता दिखाई देती है।

45. पत्रावली में संलग्न घटनास्थल के नक्शा नजरी प्रदर्श पी–13 के अवलोकन से पीड़िता अभियुक्त और अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जिस किराये के घर में रहती थी उस घर में दो रिहायशी कमरे प्रदर्शित दिखाई देते हैं। इन दोनों कमरों में पृथक–पृथक दरवाजे दिखाई देते हैं। पीड़िता साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त का परिवार और वह जहॉ रहते थे, उस मकान में दो कमरे हैं और दो कमरों में अलग–अलग दरवाजे हैं, अभियुक्त के उक्त घर में वह, अभियुक्त, उसकी सौतेली मॉ, उसके दो सौतेले भाई और एक सौतेली बहन रहते थे। साक्षी पी0डब्ल्यू0–3 ने अपने बयान में कहा है कि उसके किराये के मकान में कुल 7 लोग निवास करते हैं। उसके घर में तीन पुरूष व चार महिलायें थीं। उसके किराये के मकान में दो कमरे थे। पुरूष और महिलायें अलग–अलग रहती थी। एक कमरे में वह, उसके पिता व उसका छोटा भाई रहते थे और दूसरे कमरे में उसकी दो मातायें और पीड़िता के अलावा एक अन्य बहन रहती थी। सारे परिवार का भोजन एक साथ बनता था। साक्षी पी0डब्ल्यू0–7 ने घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी–13 उसके द्वारा पीड़िता की निशानदेही पर तैयार किये जाने का कथन करते हुए अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि यह कहना सही है कि जिस घर में पीड़िता रहती थी उसमें दो अलग–अलग कमरे थे, दोनों कमरों में बाहर आने–जाने के अलग दरवाजे थे।

46. पीड़िता की सौतेली मॉ साक्षी पी0डब्ल्यू0–9 ने अभियुक्त की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि वह लोग जिस किराये के घर में कथित घटना के समय रहते थे उस घर में रहने के लिए दो कमरे थे। दोनों कमरे अलग–अलग दरवाजे वाले थे। एक कमरे में अभियुक्त तथा दोनों बेटे सोते थे और अन्दर वाले कमरे में वह, उसकी सौतन, उसकी बेटी और पीड़िता सोते थे। जब वे लोग रात में अपने–अपने कमरे में सोते थे तो उधर बाघ के आने के कारण वे लोग अपने–अपने दरवाजे का कुन्डा अन्दर से लगाकर सोते थे। कथित घटना की रात अन्दर वाले कमरे में वह, उसकी सौतन और उसकी सगी बेटी सोये थे और बाहर वाले कमरे में अभियुक्त तथा दोनों बेटे सोये थे। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि यह साक्षी अपने मुख्यपरीक्षा बयान में भी दिनांक 23.06. 2023 को रात में घर पर उसकी, सौतन, उसके पति, उसके दो बेटे तथा छोटी बेटी के रहने का कथन करते हुए यह कहा है कि उसकी सौतेली बेटी उस रात घर पर नहीं थी और दिनांक 23.06.2023 की रात को अभियुक्त ने पीड़िता के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया था और पीड़िता ने उसे अभियुक्त द्वारा उसके साथ किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार करने अथवा उसकी छाती में हाथ लगाने जैसी कोई बात नहीं बताई थी और न ही उसने अभियुक्त को डॉटा था। साक्षी पी0डब्ल्यू0–9 ने अपने मुख्यपरीक्षा बयान में यह कहा है कि दिनांक 23.06.2023 की रात को अभियुक्त ने पीड़िता के साथ कोई

गलत काम नहीं किया था। पीड़िता न तो चिल्लाई थी और न ही पीड़िता ने उसे अभियुक्त द्वारा उसके साथ किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार करने अथवा उसकी छाती में हाथ लगाने जैसी कोई बात बताई थी और न ही उसने अभियुक्त को डॉटा था। इस साक्षी ने अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ कभी भी शारीरिक संबंध बनाये जाने, अथवा ऐसी कोई बात पीड़िता द्वारा उसे बताये जाने का कोई कथन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा इस साक्षी से अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ कभी भी कोई शारीरिक संबंध बनाये जाने के बिन्दु पर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। अभियुक्त की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह कहा है कि कथित घटना की शाम 06:30 बजे पीड़िता घर से उससे यह कहकर गयी थी कि वह चिलियानौला में सिलाई के पैसे लेने जा रही है, उसके बाद पीड़िता उस रात घर पर नहीं आयी थी और अगले दिन सुबह 06:00—07:00 बजे आयी थी।

47. पीड़िता की सगी मॉ साक्षी पी0डब्ल्यू0—10 ने यद्यपि अपने मुख्यपरीक्षा बयान में दिनांक 23.06.2023 की रात को पीड़िता के भी उसके साथ अभियुक्त के घर पर ही होने का कथन किया है, तथापि इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि रानीखेत में किराये के कमरे में अभियुक्त का परिवार रहता था। तथाकथित घटना के समय उस किराये के मकान में अभियुक्त, वह, पीड़िता, उसकी अभियुक्त से पैदा बेटी, अभियुक्त की दूसरी पत्नी, उसकी सौतन के दो बेटी व एक बेटी रहते थे। किराये वाले उक्त मकान में किचन, बाथरूम व शौचालय के अलावा रहने के दो कमरे थे। एक कमरे में वह, उसकी सौतन, उसकी बेटी, पीड़िता और उसकी सौतली की बेटी सोते थे और दूसरे कमरे में उसके शौहर और दो बेटे सोते थे। सोते समय वे अपने कमरे में कुन्डी व चिटकनी लगाकर सोते थे क्योंकि बाघ आदि जानवरों का डर रहता था। इस साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षा बयान में ही अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ कभी भी शारीरिक संबंध बनाये जाने का कोई कथन नहीं किया है। दिनांक 23.06.2023 की रात्रि की घटना के संबंध में इस साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षा बयान में यह कहा है कि इस रात अभियुक्त ने पीड़िता के साथ कोई दुष्कर्म नहीं किया था और पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा उसके साथ दुष्कर्म करने वाली कोई बात नहीं बताई थी। इस साक्षी से अभियोजन द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ कभी भी कोई शारीरिक संबंध बनाये जाने के बिन्दु पर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। अभियुक्त की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह कहा है कि दिनांक 23.06.2023 की रात को अभियुक्त उसके कमरे में नहीं आया था और अभियुक्त ने उस रात पीड़िता के साथ न तो कोई अश्लीलता किया था, न उसे छुआ था और न ही कोई दुर्व्यवहार किया था। दिनांक 23.06.2023 की रात को अथवा दूसरे दिन पीड़िता ने उसे अभियुक्त द्वारा उसके साथ किसी प्रकार का कोई

अश्लील हरकत या दुर्व्यवहार किये जाने की बात नहीं बताया था। दिनांक 23.06.2023 से पूर्व कभी भी पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये जाने की कोई बात नहीं बताया था। अभियुक्त की दो–दो पत्नियॉ हैं, वह अपनी बेटी पीड़िता के साथ कभी कोई अश्लीलता या दुर्व्यवहार नहीं कर सकता।

48. उपर्युक्त साक्षियों के बयानों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ अभियुक्त के जिस किराये के कमरे में जबरन शारीरिक संबंध बनाये जाने का अभियोजन कथानक है उस किराये के घर में केवल दो कमरे हैं और दोनों कमरों में पृथक–पृथक दरवाजे हैं। यह भी तथ्य स्पष्ट हो चुका है कि अभियुक्त के घर में अभियुक्त, उसकी दो पत्नियॉ (एक पीड़िता की सगी मॉ और दूसरी पीड़िता की सौतेली मॉ), पीड़िता, पीड़िता की एक अन्य सगी बहन, पीड़िता के दो सौतेले भाई और एक सौतेली बहन रहते थे। साक्षी पी0डब्ल्यू0–3, साक्षी पी0डब्ल्यू0–9 व साक्षी पी0डब्ल्यू0–10 के समान बयानों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि किराये के उक्त दो कमरों में अभियुक्त के परिवार के सदस्यों के रहने की व्यवस्था इस प्रकार थी कि बाहर के कमरे में अभियुक्त और उसके दो बेटे सोते थे और अभियुक्त की दो पत्नियॉ, और पीड़िता सहित अभियुक्त की सभी पुत्रियॉ अन्दर वाले कमरे में सोते थे। साक्षी पी0डब्ल्यू0–9, पी0डब्ल्यू0–10 और विवेचक साक्षी पी0डब्ल्यू0–7 के बयान से यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त दोनों कमरों में बाहर आने के लिए अलग–अलग दरवाजे थे। साक्षी पी0डब्ल्यू0–9 और पी0डब्ल्यू0–10 के बयान से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वे लोग रात में अपने–अपने कमरे में सोते थे तो बाघ के आने के कारण वे लोग अपने–अपने दरवाजे का कुंडा अन्दर से लगाकर सोते थे और कथित घटना की रात भी वह लोग वैसे ही अपने–अपने कमरे में सोये थे। एक तरफ जहॉ साक्षी पी0डब्ल्यू0–9 और पी0डब्ल्यू0–10 के बयान के अनुसार अभियुक्त और उसके दोनों बेटों के अलग कमरों में सोने के कारण पीड़िता अपनी मॉ और बहनों के साथ जिस अलग कमरे में सोती थी उस कमरे में अभियुक्त का रात में बिना दरवाजा खुलवाकर आना संभव दिखाई नहीं देता है, वहीं दूसरी तरफ अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ उसके कमरे में आकर किसी प्रकार की कोई अश्लीलता या दुर्व्यवहार या शारीरिक संबंध बनाये जाने की स्थिति में उसी कमरे में सोयी अभियुक्त की पत्नियों और अन्य पुत्रियों को जानकारी हो जाना स्वाभाविक दिखाई देता है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि पीड़िता की सौतेली मॉ और सगी मॉ दोनों ने ही घटना के दौरान अभियुक्त के किराये के कमरे में ही रहने का कथन किया है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि मॉ चाहे सगी हो अथवा सौतेली हो दोनों ही स्थितियों में किसी पुरूष द्वारा और वह पुरूष चाहे उनका पति ही क्यों न हो, पुत्री के साथ छेड़छाड़ किये जाने या किसी प्रकार की कोई अश्लीलता किये जाने की

स्थिति में मॉ द्वारा विरोध किया जाना स्वाभाविक है। जिस प्रकार पीड़िता अभियुक्त की सौतेली पुत्री है, वैसे ही पीड़िता साक्षी पी0डब्ल्यू0—9 की सौतेली पुत्री है और साक्षी पी0डब्ल्यू0—10 की सगी पुत्री है। जिस प्रकार साक्षी पी0डब्ल्यू0—3 अभियुक्त का पुत्र होने के कारण उससे हितबद्ध है और जिस प्रकार साक्षी पी0डब्ल्यू0—9 और पी0डब्ल्यू0—10 अभियुक्त के उनके पति होने के कारण अभियुक्त से हितबद्ध हैं, उसी प्रकार भाई होने के कारण साक्षी पी0डब्ल्यू0—3 और मॉ होने के कारण साक्षी पी0डब्ल्यू0—9 और पी0डब्ल्यू0—10 पीड़िता से भी हितबद्ध हैं। साक्षी पी0डब्ल्यू0—3, पी0डब्ल्यू0—9 और पी0डब्ल्यू0—10 अभियुक्त के पुत्र व पत्नी होने के कारण अभियुक्त से चाहे जितना भी हितबद्ध हों, किन्तु यह हितबद्धता अभियुक्त द्वारा अपनी ही पुत्री (पीड़िता) के साथ छेड़छाड़ किये जाने, कोई अश्लीलता या जबरन शारीरिक संबंध बनाये जाने की स्थिति में भी अभियुक्त का पक्ष लेने हेतु विवश नहीं कर सकता है।

49. तहरीर प्रदर्श पी—1 में दिनांक 24.06.2023 को पीड़िता द्वारा अभियुक्त से पूर्व में उधार दिये तीन हजार रूपये मॉगने और अभियुक्त द्वारा उक्त पैसे उसे वापस न कर उसके साथ मारपीट करने का कोई उल्लेख नहीं है, अपितु यह उल्लिखित है कि दिनांक 24.06.2023 को पीड़िता के सौतेले पिता ने उसके साथ मारपीट की और उसे धमकी दिया कि इस घटना के बारे में किसी को बताया तो मै तुझे बताउंगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दिये बयान में पीड़िता ने तहरीर प्रदर्श पी—1 से भिन्न यह कथानक प्रस्तुत किया है कि दिनांक 23.06.2023 की रात की घटना के बाद सुबह होने पर उसने अपने पापा से तीन हजार रूपये मॉगे, जो उसने उन्हें सिलाई का कार्य करके उधार दिये थे, उन्होंने उसे उसके रूपये नहीं दिये और उलटा उसके साथ गंदी—गंदी गालियॉ देते हुए मारपीट किया। फिर उसने आसिफ भाई के साथ जाकर अपने पिता के खिलाफ रिपोर्ट करायी। पीड़िता के इस बयान के अनुसार पीड़िता द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का तात्कालिक कारण दिनांक 24.06.2023 की सुबह पीड़िता द्वारा अभियुक्त से उधार के तीन हजार रूपये वापस मॉगने पर अभियुक्त द्वारा उसके साथ मारपीट किया जाना है। पीड़िता साक्षी पी0डब्ल्यू0—1 ने अपने मुख्यपरीक्षा बयान में दिनांक 24.06.2023 को उसके द्वारा अभियुक्त से पूर्व में दिये उधार के तीन हजार रूपये वापस मॉगने और अभियुक्त द्वारा उक्त उधार के पैसे वापस न देकर उलटा उसके साथ मारपीट करने का कथन नहीं किया है, किन्तु अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह कहा है कि दिनांक 23.06.2023 की रात के बाद सुबह उसने अपनी बहन के काम के लिए अभियुक्त द्वारा पूर्व में उसके लिये गये पैसे मॉगा, तब अभियुक्त ने वह पैसे उसे नहीं दिया। इस बात पर उसका और अभियुक्त का उस दिन झगड़ा हुआ।

50. साक्षी पी0डब्ल्यू0–3 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि पीड़िता सिलाई का काम करती थी, पीड़िता ने अभियुक्त को तीन हजार रूपये उधार दिये थे, परन्तु पिताजी ने नहीं दिये तो इसी बात को लेकर उसके पिताजी व पीड़िता में अनबन हो गई थी। रिपोर्ट लिखाने के एक दिन पहले पीड़िता घर में बिना बताये कहीं बाहर चली गई थी। पीड़िता के जानने वाले दिल्ली के दो लड़के आये थे। उनके साथ पीड़िता रात भर घर से बाहर रही, इस पर पापा ने पीड़िता को समझाया तो वह पिताजी से लड़ने लगी और पिताजी से कहने लगी कि वह उन्हें उल्टे–सुल्टे केस में फॅसा देगी और दूसरे दिन वह थाने चली गयी। वह पीछे–पीछे पीड़िता के साथ थाने गया और उसे समझाने का प्रयास किया। इस प्रकार यह साक्षी पीड़िता के साथ रिपोर्ट लिखाने जाने का कथन नहीं करता है, अपितु पीड़िता के नाराज होकर अपने पिता के विरूद्ध रिपोर्ट लिखाने थाने जाने पर उसके पीछे–पीछे जाने और पीड़िता को समझाने का प्रयास करने का कथन करता है। यह साक्षी अपनी आगे की प्रतिपरीक्षा में यह कहता है कि उसके पिताजी पीड़िता से उधार लिये तीन हजार रूपये उसे नहीं दे पाये, इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और इसके अलावा कोई घटना नहीं हुई। पीड़िता ने पुलिस से मिलकर सारी घटना गलत लिखाई है। पुलिसवाले उस पर झूठी गवाही देने का दबाव बना रहे थे और कल भी पुलिसवालों का फोन आया था कि पीड़िता के पक्ष में झूठी गवाही दो, लेकिन वह उनके कहने पर नहीं आया।

51. साक्षी पी0डब्ल्यू0–9 ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि पीड़िता के तीन हजार रूपये अभियुक्त ने उधार लिये थे, उसे पीड़िता अभियुक्त से मॉग रही थी। इस बात पर झगड़ा हुआ और पीड़िता ने अभियुक्त को धमकी दी कि यदि अभियुक्त ने उसके तीन हजार रूपये नहीं दिये तो वह उसे ऐसे केस में फॅसा देगी जिससे वह जिन्दगी भर जेल में सड़ेगा। इस प्रकार पीड़िता के परिवार के सदस्यों के बयान के अनुसार पीड़िता के साथ अभियुक्त ने किसी प्रकार की कोई छेड़खानी या मारपीट नहीं किया और न ही शारीरिक संबंध बनाया, बल्कि पीड़िता के घर से बाहर रहने पर अभियुक्त द्वारा पीड़िता को डॉटने और पीड़िता द्वारा अभियुक्त से अपने उधार के पैसे वापस मॉगने की बात को लेकर झगड़ा होने पर पीड़िता ने अभियुक्त को झूठे केस में फॅसाने की धमकी देकर थाने जाकर झूठा रिपोर्ट लिखवाया।

52. अभियुक्त ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान देते हुए यह कहा है कि पीड़िता अनजान लड़कों से फोन पर घंटों बातें करती थी और बाहर के लड़कों के साथ रात में होटल में रहती थी। वह उसके हित में उसे डॉटता था और उसकी अच्छे लड़के से शादी कराना चाहता था। पीड़िता उसकी बात नहीं मानती थी। जब वह दिनांक 24.06.2023 को सुबह पीड़िता के घर आने पर उसे डॉटा था, तब उसे

बुरा लगा और उसने उसे धमकी दिया कि वह इसका बदला लेगी और उसे जिन्दगी भर जेल में डालेगी। इसी बदले की भावना से उसने उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट किया। तहरीर प्रदर्श पी–1 में भी दिनांक 24.06.2023 को पीड़िता और अभियुक्त के बीच झगड़ा होने और अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ मारपीट करने का उल्लेख दिखाई देता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दिये बयान में भी पड़िता ने दिनांक 24.06. 2023 की सुबह अभियुक्त और उसके बीच झगड़ा होने और अभियुक्त द्वारा उसके साथ मारपीट करने का कथन किया है। पीड़िता साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 ने अपने मौखिक बयान में भी दिनांक 24.06.2023 की सुबह उधार के पैसे को लेकर उसके और अभियुक्त के बीच झगड़ा होने की स्वीकृति किया है।

53. साक्षी पी0डब्ल्यू0–3 ने अभियुक्त के कथन का समर्थन करते हुए अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि रिपोर्ट लिखाने के एक दिन पहले पीड़िता घर में बिना बताये कहीं बाहर चली गई थी। पीड़िता के जानने वाले दो लड़के आये थे। पीड़िता रात भर उनके साथ घर से बाहर रही। इस पर पापा ने पीड़िता को समझाया तो वह पिताजी से लड़ने लगी और उल्टे–सुल्टे केस में फॅसाने की धमकी देकर थाने को चली गई। इस साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि यह बात सही है कि पीड़िता का मेरठ के गॉव का लड़का सादिब के साथ बातचीत है, वह दिल्ली में वेल्डर का काम करता है। उसका फोन अभी भी उसके पास आया था और वह कहता था कि पीड़िता से उसकी बात करवाओ और उससे उसकी शादी करवाओ। उसके पिताजी पीड़िता से उधार लिये तीन हजार रूपये उसे नहीं दे पाये। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। पीड़िता ने सारी घ टना पुलिस से मिलकर गलत दिखाई है।

54. साक्षी पी0डब्ल्यू0–9 ने अपने बयान में यह कहा है कि कथित घटना दिनांक 23.06.2023 की शाम 06:30 बजे पीड़िता घर से उसे यह कहकर गई थी कि वह चिलियानौला सिलाई के पैसे लेने जा रही है। उसके बाद वह रात भर घर पर नहीं आयी। उसके बड़े बेटे ने उसे बताया कि पीड़िता मोटरसाईकिल पर दो लड़कों के साथ बैठकर कहीं जा रही थी। उस रात पीड़िता कहॉ रही और किसके साथ रही उसे नहीं पता। अगले दिन सुबह 06:00–07:00 बजे के करीब पीड़िता घर आयी। अभियुक्त ने पीड़िता को डॉटा कि रात में तुम किसके साथ कहॉ गई थी। इसी बात को लेकर अभियुक्त व पीड़िता में झगड़ा हुआ था और पीड़िता ने अभियुक्त को यह धमकी दी थी कि वह अभियुक्त को ऐसे केस में फॅसा देगी जिससे वह जिन्दगी भर जेल में सड़ेगा। इस साक्षी ने आगे की प्रतिपरीक्षा में कहा है कि पीड़िता मेरठ के रहने वाले और दिल्ली में काम करने वाले एक साहिब या सादिब नामक लड़के से फोन पर बात करती थी और उससे शादी करने को कहती थी। अभियुक्त पीड़िता को उससे शादी करने से मना करते

थे, क्योंकि उस लड़के को उसके घर वालों ने घर से निकाल रखा था।

55. साक्षी पी0डब्ल्यू0—10 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि रिपोर्ट लिखाये जाने से एक दिन पहले अभियुक्त ने पीड़िता को डॉटा था कि बेटी तुम गलत लड़कों के संगत में पड़ रही हो, और कहा था कि बेटी हम तुम्हारी अच्छे घर में शादी करेंगे, परन्तु पीड़िता ने कहा कि आप हमारे हर काम में रोक—टोक करते है और फिर शाम को पीड़िता घर में यह कहकर गई कि वह किसी से सिलाई का पैसा लेने जा रही है। पीड़िता रात भर घर में नहीं आई, अपितु अगले दिन सुबह घर में आयी। रिपोर्ट लिखाये जाने से पहली रात को पीड़िता घर पर नहीं थी। तथाकथित घटना के दौरान पीड़िता गलत लड़कों के संगत में पड़ गई थी। वह उनसे फोन पर रात—रात भर बात करती थी। उसकी गलत संगत व बात को लेकर अभियुक्त उसे डॉटते थे। जिस दिन पीड़िता घर से गायब थी उस दिन उसके मेरठ के दो लड़कों के साथ होटल में रात भर रूकने की बात पता चली। अभियुक्त के डॉटने पर पीड़िता ने उसे धमकी दिया कि वह अभियुक्त को ऐसे केस में फॅसाएगी वह कभी बाहर नहीं निकल पायेगा। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि इस समय पीड़िता ने दिल्ली में उसी लड़के से शादी कर लिया है जिससे वह बात करती थी।

56. इस प्रकार अभियोजन की ओर से ही परीक्षित और पीड़िता के ही भाई और सौतेली मॉ तथा सगी मॉ ने अभियुक्त के इस कथन का समर्थन किया है कि पीड़िता अनजान लड़कों से फोन पर घण्टों बात करती थी और बाहर के लड़कों के साथ रात में होटल में रहती थी और जब अभियुक्त ने उसकी इस बात के लिए उसे डॉटा, तब पीड़िता ने उसे बदला लेने और जेल में डालने की धमकी दिया। इन साक्षियों के बयानों से अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ किसी प्रकार का कोई आपराधिक कृत्य किये जाने का समर्थन नहीं होता है, अपितु अभियुक्त द्वारा अपने पिता के दायित्व का निर्वहन करते हुए दिनांक 24.06.2023 को पीड़िता को डॉटने और समझाने का तथ्य दिखाई देता है।

57. इस मामले में दिनांक 25.06.2023 को पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण किया गया है। चिकित्सक साक्षी पी0डब्ल्यू0—5 अपने बयान में कहती है कि दिनांक 25.06.2023 की शाम 06:35 बजे उसके द्वारा पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था और परीक्षण करने के दौरान पीड़िता के दो वलवल स्वैब, दो वजाइनल स्वैब, दो एनल स्वैब, वजाइनल स्मीयर लिये गये थे और उक्त सभी सैम्पल को सीलबंद करके पुलिस के सुपुर्द किया गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उसके द्वारा पीड़िता को अल्ट्रासाउण्ड, कलाई का एक्स—रे, पेशाब व खून की अन्य सभी जॉचों के लिए सन्दर्भित किया गया था और पीड़िता का यू0पी0टी0 निगेटिव आया था। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि पीड़िता के शरीर के किसी भाग पर कोई चोट का निशान

नहीं था। पीड़िता के शरीर पर सामान्य दृष्टि से देखने पर कोई सीमेन नहीं दिखाई दिया, तथापि उसके द्वारा पीड़िता के स्वैब सैम्पल लिये गये थे। पीड़िता के गुप्तांग में कोई चोट का निशान नहीं पाया गया था।

58. पत्रावली में संलग्न विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी–16 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला देहरादून में प्रश्नगत एफ0आई0आर0 संख्या 17 वर्ष 2023 थाना रानीखेत से संबंधित पीड़िता के दो वलवल स्वैब प्रदर्श–1, दो वजाइनल स्वैब प्रदर्श–2, एक वजाइनल स्मीयर प्रदर्श–3 एक वलवल स्लाइड प्रदर्श–4, पीड़िता का रक्त नमूना प्रदर्श–5, अभियुक्त का रक्त नमूना प्रदर्श–6 परीक्षण हेतु प्राप्त हुए थे। इस रिपोर्ट में प्रयोगशाला के वैज्ञानिक द्वारा यह निष्कर्ष दिया जाना दर्शित होता है कि प्रदर्श 1, 2, 3 एवं 4 में कोई सीमेन नहीं पाया गया और प्रदर्श 1, 2, 3 तथा 4 में कोई रक्त भी नहीं पाया गया। इस प्रकार प्रयोगशाला की इस रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त का पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाने का कोई तत्व पाया जाना दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से अभियोजन कथानक तथा अभियुक्त पर लगाये गये अभियोग का कोई संपोषण नहीं होता है।

59. अभियुक्त की ओर से **Manak Chand @ Mani vs. The State of Haryana, 2023 INSC 959 अंतर्गत Criminal Appeal No. 2276 of 2014 निर्णय दिनांक 30.10.2023** का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभियोक्त्री के विश्वसनीय न पाये जाने और उसके बयानों से संदेह सृजित होने की स्थिति में न्यायालय द्वारा अन्य संपोषक साक्ष्यों को देखने की आवश्यकता बताते हुए यह अवधारित किया है कि –

> "5…..Both the prosecutrix as well as the accused have a right for a fair trial, and therefore when the statement of the prosecutrix does not inspire confidence and creates a doubt, the court must look for corroborative evidence. Relying upon the case of Gurmit Singh (supra) this court in Raju and others v. State of Madhya Pradesh (2008) 15 SCC 133 held as under:
>
> > "10. The aforesaid judgments lay down the basic principle that ordinarily the evidence of a prosecutrix should not be suspected and should be believed, more so as her statement has to be evaluated on a par with that of an injured witness and if the evidence is reliable, no corroboration is necessary. Undoubtedly, the aforesaid observations must carry the greatest weight and we respectfully agree with them, buat the same time they cannot be universally and mechanically applied to the facts of every case of

sexual assault which comes before the court.

11. It cannot be lost sight of that rape causes the greatest distress and humiliation to the victim but at the same time a false allegation of rape can cause equal distress, humiliation and damage to the accused as well. The accused must also be protected against the possibility of false implication, particularly where a large number of accused are involved. It must, further, be borne in mind that the broad principle is that an injured witness was present at the time when the incident happened and that ordinarily such a witness would not tell a lie as to the actual assailants, but there is no presumption or any basis for assuming that the statement of such a witness is always correct or without any embellishment or exaggeration."

60. अभियुक्त की ओर से **Nirmal Prem Kumar and another vs. State Rep. By Inspector of Police 2024 INSC 193 अंतर्गत Criminal Appeal No. 1098 of 2024 निर्णय दिनांक** 11.03.2024 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभियोक्त्री के बयान की विश्वनीयता के लिए उसके बयान में प्रारंभ से लेकर अंत तक एकरूपता होना आवश्यक होना बताते हुए यह अवधारित किया है कि –

"14. In Krishan Kumar Malik v. State of Haryana (2011) 7 SCC 130, this Court laid down that although the victim's solitary evidence in matters related to sexual offences is generally deemed sufficient to hold an accused guilty, the conviction cannot be sustained if the prosecutrix's testimony is found unreliable and insufficient due to identified flaws and lacunae. It was held thus:

31. No doubt, it is true that to hold an accused guilty for commission of an offence of rape, the solitary evidence of the prosecutrix is sufficient provided the same inspires confidence and appears to be absolutely trustworthy, unblemished and should be of sterling quality. But, in the case in hand, the evidence of the prosecutrix, showing several lacunae, which have already been projected hereinabove, would go to show that her evidence does not fall in that category and cannot be relied upon to hold the appellant guilty of the said offences."

61. वर्तमान मामले में भी अभियोक्त्री की तहरीर, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के बयान और उसके द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान में एकरूपता नहीं पायी गयी है। अभियोक्त्री कभी कुछ कहती और कभी कुछ कहती पायी गयी है। पीड़िता के

भाई, सौतेली मॉ और सगी मॉ जो सहज रूप से पीड़िता के साथ कथित घटना से संबंधित कमरों में रहते और सोते थे और कथित घटना के समय भी उसी कमरों में थे, ने पीड़िता के कथनों का कोई समर्थन नहीं किया है।

62. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंगशैथिल्य कारित करने को स्वेच्छया उपहति कारित करने के रूप में दण्डनीय अपराध घोषित करता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2)(n) अठारह वर्ष से कम आयु की स्त्री की सम्मति से या सम्मति के बिना उसके साथ बार–बार शारीरिक संबंध बनाने से संबंधित कृत्य को बलात्संग के रूप में दण्डनीय अपराध घोषित करता है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5 (l) सपठित धारा 6 अठारह वर्ष से कम आयु के बालक या बालिका के साथ बार–बार गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला किये जाने के कृत्य को दण्डनीय अपराध घोषित करता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को या उससे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या ख्याति को संत्रास कारित करने के आशय से क्षति करने की धमकी दिये जाने के कृत्य को दण्डनीय अपराध घोषित करता है।

63. तथ्यों, साक्ष्यों एवं न्यायिक निर्णय में प्रतिपादित उपर्युक्त सिद्धांतों के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन पक्ष पीड़िता की जन्म तिथि दिनांक 01.01.2006 होने और घटना की तिथि पर उसकी उम्र 18 वर्ष से कम होने के तथ्य को निश्चितता के साथ सिद्ध नहीं कर पाया है। स्वयं पीड़िता की सौतेली मॉ और सगी मॉ के बयान के अनुसार घटना के समय पीड़िता की उम्र 21 वर्ष अवगणित हुई है। अभियोजन द्वारा कथित पीड़िता की जन्मतिथि दिनांक 01.01.2006 के आधार पर भी घटना के समय पीड़िता की उम्र 17 वर्ष 05 माह 23 दिन अर्थात वयस्कता की उम्र के काफी सन्निकट दिखाई देता है और पीड़िता की समझ परिपक्व दिखाई देती है। पीड़िता द्वारा दी गई तहरीर, पीड़िता द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दिये गये बयान और साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 के रूप में न्यायालय में दिये बयान में घटना के कथानक के संबंध में तात्विक भिन्नता दिखाई देती है। घटनास्थल किराये के दो कमरे होने, उसी किराये के कमरों में पीड़िता सहित अभियुक्त के परिवार के सभी सदस्यों के रहने, दोनों कमरों के अलग–अलग दरवाजे होने, बाघ के डर से रात में सोते समय कमरों के दरवाजे अन्दर से बन्द कर लिये जाने, अभियुक्त और उसके दोनों बेटों के एक कमरे में अलग सोने और पीड़िता तथा उसकी दोनों माताओं और बहनों के दूसरे कमरे में अलग सोने आदि तथ्यों एवं स्थितियों के साक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ किसी प्रकार का कोई छेड़खानी किया जाना या शारीरिक संबंध बनाया जाना अविश्वसनीय व अस्वाभाविक दिखाई देता है। परिपक्व समझ की पीड़िता के साथ इतने

अधिक संख्या के परिवार के सदस्यों के एक साथ सोते समय रात्रि में अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ छेड़खानी किये जाने अथवा शारीरिक संबंध बनाये जाने की स्थिति में पीड़िता द्वारा चिल्लाने व आवाज करने की दशा में अथवा अन्यथा उसके साथ सोयी उसकी मॉ, भाई और बहनों के जग जाने और अभियुक्त का विरोध करने की बात स्वाभाविक होते हुए भी पीड़िता के भाई, सौतेली मॉ अथवा सगी मॉ ने पीड़िता द्वारा कथित किसी भी घटना का कोई समर्थन नहीं किया है। चिकित्सीय रिपोर्ट और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से भी पीड़िता व अभियुक्त के बीच शारीरिक सम्बन्ध बनने के तथ्य का कोई संपोषण नहीं हुआ है। तहरीर, पीड़िता के धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान और न्यायालय में उसके द्वारा दिये गये बयान में तात्विक बिन्दुओं पर भिन्नता होने के कारण और मौके पर उपस्थित सहज साक्षी पीड़िता के भाई, बहन, सौतेली मॉ और सगी मॉ द्वारा पीड़िता के कथनों का कोई समर्थन न किये जाने को दृष्टि में रखते हुए पीड़िता विश्वसनीयता के धरातल पर खरी नहीं उतरी है। साक्षी पी0डब्ल्यू0–3, पी0डब्ल्यू0–9 और पी0डब्ल्यू0–10 ने पीड़िता के किसी लड़के के साथ घर से बाहर रहने के कारण अभियुक्त द्वारा उसे डॉटने और समझाने से नाराज होकर पीड़िता द्वारा अभियुक्त को केस में फॅसाने की धमकी देने और इसी बदले की भावना से अभियुक्त के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट लिखाये जाने का कथन किया है। साक्षी पी0डब्ल्यू0–10 के कथनानुसार पीड़िता ने उसी लड़के से शादी कर लिया है जिससे वह बातें करती थी। किसी भी तथ्य के और सहज रूप से घटना के समय मौके पर उपस्थित रहे साक्षियों ने अभियोजन कथानक व अभियुक्त के ऊपर लगाये गये किसी भी आरोप का समर्थन नहीं किया है। पीड़िता विश्वसनीय साक्षी सिद्ध नहीं हुई है। अभियोजन पक्ष अभियोजन कथानक तथा अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 323, 376(2)(n), 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 5 (l) सपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के आवश्यक तत्वों को सन्देह से परे सिद्ध करने में सफल दिखाई नहीं देता है, अतः अभियुक्त उसके विरूद्ध लगाये गये धारा 323, 376(2)(n), 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 5 (l) सपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

64. अभियुक्त (पीड़िता के सौतेले पिता) को उसके ऊपर लगाये गये अन्तर्गत धारा 323, 376(2)(n), 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 5 (l) सपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

65. अभियुक्त इस मामले में जिला कारागार में निरूद्ध है। उसका रिहाई आदेश अधीक्षक, जिला कारागार अल्मोड़ा को इस निर्देश के साथ भेजा जाये कि यदि अभियुक्त

किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे तुरन्त रिहा किया जाये।

66. अभियुक्त द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–437–A के अन्तर्गत प्रस्तुत व्यक्तिगत बन्धपत्र व जमानतनामें विहित समयावधि तक बने रहेंगे।

दिनांक :– 10.07.2025

(श्रीकान्त पाण्डेय),
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो)
अल्मोड़ा।

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक :– 10.07.2025

(श्रीकान्त पाण्डेय),
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो)
अल्मोड़ा।

लगातार.............

(Annexure -1)

अभियोजन साक्षी/प्रतिरक्षा साक्षी/न्यायालय साक्षियों की सूची
ए. अभियोजन साक्षी :–

अभियोजन साक्षियों की सूची		
रैंक	**साक्षियों के नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अभियोजन साक्षी–1	पीड़िता	पीड़िता/तथ्य की साक्षी
अभियोजन साक्षी–2	महिला कॉ0 कवित्री	एफ0आई0आर0 लेखिका/पुलिस साक्षी
अभियोजन साक्षी–3	पीड़िता का सौतेला भाई	तथ्य का साक्षी
अभियोजन साक्षी–4	पीड़िता के विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका	अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी–5	डॉ0 पूजा राज	चिकित्सक साक्षी
अभियोजन साक्षी–6	उपनिरीक्षक कश्मीर सिंह	अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाला/पुलिस साक्षी
अभियोजन साक्षी–7	उपनिरीक्षक हेमा कार्की	प्रथम विवेचक
अभियोजन साक्षी–8	उपनिरीक्षक रिंकी सिंह	द्वितीय विवेचक
अभियोजन साक्षी–9	पीड़िता की सौतेली माता	तथ्य की साक्षी
अभियोजन साक्षी–10	पीड़िता की सगी माता	तथ्य की साक्षी

बी. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :–

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
....	....	....

सी. न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो :– कोई नहीं

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
....	....	....

दिनांक :– 10.07.2025

(श्रीकान्त पाण्डेय),
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो)
अल्मोड़ा।

(Annexure -2)

अभियोजन प्रदर्श/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्श की सूची
ए. अभियोजन प्रदर्श :–

अभियोजन दस्तावेजों की सूची		
क्र0सं0	**विवरण**	**प्रदर्श संख्या**
1.	लिखित तहरीर	प्रदर्श पी–1
2.	पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता	प्रदर्श पी–2
3.	चिक एफ0आई0आर0	प्रदर्श पी–3
4.	जी0डी0 की सत्यापित प्रति	प्रदर्श पी–4
5.	जन्मतिथि प्रमाणपत्र	प्रदर्श पी–5
6.	लीविंग सर्टिफिकेट	प्रदर्श पी–6
7.	एस0आर0 रजिस्टर की प्रति	प्रदर्श पी–7
8.	पीड़िता की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट	प्रदर्श पी–8
9.	पीड़िता की अल्ट्रासाउण्ड व अन्य जॉच रिपोर्ट	प्रदर्श पी–9
10.	पीड़िता की सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट	प्रदर्श पी–10
11.	गिरफ्तारी मेमो	प्रदर्श पी–11
12.	सूचना मेमो	प्रदर्श पी–12
13.	नक्शा नजरी	प्रदर्श पी–13
14.	अग्रेषणपत्र	प्रदर्श पी–14
15.	आरोपपत्र	प्रदर्श पी–15
16.	विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट	प्रदर्श पी–16

बी. प्रतिरक्षा प्रदर्श :– कोई नहीं

क्रम संख्या	प्रदर्श नम्बर	विवरण
....	....	....

सी. न्यायालय प्रदर्श :– कोई नहीं

क्रम संख्या	प्रदर्श नम्बर	विवरण
....	....	....

डी. भौतिक सामग्री : कोई नहीं।

क्रम संख्या	प्रदर्श नम्बर	विवरण
....	....	....

दिनांक :– 10.07.2025

(श्रीकान्त पाण्डेय),
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो)
अल्मोड़ा।